



## **प्रेस विज्ञप्ति**

**30/09/2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने दिनांक 11/09/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भुवनेश्वर में खोरदा के माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष ओडिशा के सुबरनपुर जिले के सोनपुर पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार सतपथी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिसमें आरोपियों को दोषी ठहराने और 1.06 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की प्रार्थना की गई है। माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 26/09/2024 को अपराध का संज्ञान लिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदीप कुमार सतपथी के खिलाफ सतर्कता पुलिस स्टेशन, संबलपुर, ओडिशा द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उनके आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और 1.06 करोड़ रुपये की भारी संपत्ति जमा करने का आरोप है। 1.10 करोड़ रुपये की संपत्ति जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत प्रदीप कुमार सतपथी और उनके परिवार के सदस्यों की 1.06 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से जब्त किया था।